दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/प्रमोशन (NG)/ 17/8144

दिनांक:-06.12.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-342/2018

विषय:-Conducting of Selection to fill up the posts in the cadre of PGT/TGT-Hiring services of professors/Experts from outside the Railways-Regarding.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)I/2008/PM12/3 दिनांक 28.11.2018, RBE No.183/2018 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	E(G)/2001/HO/1-7 dated 03.03.2009	63/2009

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)

(हफिज मोहम्मद)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

RBE No.183/2018

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

E/R No. 342/2018 95 P/1

No.E(NG)I/2008/PM12/3 New Delhi, dated 28.11.2018

SECR The General Managers(P)
All Zonal Railways and Production Units.
(As per standard list)

Sub:- Conducting of Selection to fill up the posts in the cadre of PGT/TGT-Hiringservices of professors/Experts from outside the Railways-Regarding.

Attention is invited to Para-218 of IREM Volume-I (Revised Edition 1989) First Re-Print Edition-2009, wherein detailed procedure for constitution of selection Board has been explained for conducting the selection of any post under Zonal Railways. It has now been brought to the notice of Board that the Railways/Production Units are facing difficulties in filling up the posts of TGT/PGT in Railways' schools due to non-availability of experts in the concerned subject. This leads to delay, causing hindrance in study of curriculam within academic session and also creates resentment among TGTs/PGTs because of their non-promotion whenever it becomes due.

2. In the light of the above, the matter has been considered. It has been decided that Departmental Selection Board should consist of three JAG Level officers including Educationists/Experts in the concerned subject as members. In case of non-availability of such expert in the Railway itself or on the contiguous Railways/Railway Institutions, the services for this purpose may be taken from outside the Railways i.e. from recognized government educational institutions in the adjoining areas. The experts hired for setting of Question papers and evaluators hired for evaluations there-of should be two different individuals in case such hiring of service is done. They shall not in any way form part of Selection Board/Committee. The remuneration to their services may be paid according to the provisions contained for departmental Selection in Board's letter No. E(G)/2001/HO/1-7 dated 03.03.2009 and 29.12.2009 or as per extant policy in force at relevant time where their services are hired for evaluation/questions paper setting. 63/09

Please acknowledge receipt.

(M.K.Meena)
Deputy Director Estt.(NG)
Railway Board

आरबीई सं. 183/2018

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

E/R No - 342/2018 P/2

सं.ई(एनजी)I/2008/पीएम12/3

नई दिल्ली, दिनांक 28.11.2018

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- पीजीटी/टीजीटी के संवर्ग में रिक्त पदों को चयन के माध्यम से भरना - रेलवे के बाहर से प्रोफेसरों/विशेषज्ञों की सेवाएँ लेने से संबंधित।

आपका ध्यान भारतीय रेल स्थापना नियमावली वॉल्यूम-I (संशोधित संस्करण 1989) प्रथम पुनः मुद्रित संस्करण-2009 के पैरा-218 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय रेलों के अंतर्गत किसी भी पद के चयन के लिए चयन बोर्ड गठित करने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब बोर्ड के ध्यान में यह लाया गया है कि रेलों/उत्पादन इकाइयों में संबंधित विषय में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण रेलवे के स्कूलों में टीजीटी/पीजीटी के पदों को भरने में कठिनाइयाँ आ रही हैं। इसके परिणामस्वरूप शैक्षिक सत्र में पाठ्यक्रम को पूरा करने में देरी हो रही है, बाधा आ रही है तथा टीजीटी/पीजीटी की समय पर पदोन्नति न होने के कारण उनमें रोष भी उत्पन्न हो रहा है।

2. उपर्युक्त के आलोक में, इस मामले पर विचार किया गया है। विभागीय चयन बोर्ड का गठन करने का विनिश्चय किया गया है, जिसमें सदस्य के रूप में संबंधित विषय के शिक्षाविद/विशेषज्ञ सहित जेएजी स्तर के तीन अधिकारी होंगे। रेलवे में अथवा निकटतम रेलों/रेलवे संस्थानों में ऐसे विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के मामले में, इस उद्देश्य के लिए रेलवे के बाहर से अर्थात निकटवर्ती क्षेत्रों के मान्यता प्राप्त सरकारी शैक्षिक संस्थानों से सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। यदि इस प्रकार पारिश्रमिक पर सेवा ली जाती है, तो प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए हायर किए गए विशेषज्ञ और उत्तर पुस्तिका जाँचने के लिए हायर किए गए जांचकर्ता दो अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिए। वे किसी भी रूप में चयन बोर्ड/समिति का हिस्सा नहीं होंगे। बोर्ड के दिनांक 03.03.2009 और 29.12.2009 के पत्र सं. ई(जी)/2001/एचओ/1-7 में विभागीय चयन के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अथवा उस समय लागू मौजूदा नीति के अनुसार उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए, जहां जांच/प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए उनकी सेवाएँ ली गई हैं।

कृपया पावती दें।

(एम.के. मीना)
उप निदेशक स्थापना (अराज.)
रेलवे बोर्ड